an>

Title: Need to frame a comprehensive policy for education and rehabilitation of child labour in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) ः देश के शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के मुताबिक निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत शिक्षा पूरी किए बिना बच्चों से किसी भी प्रकार की बाल मजदूरी कराए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। परंतु इसके बावजूद देश के असंख्य नौनिहालों को बाल मजदूरी करने के लिए गरीबी, अशिक्षा आदि कारणों से मजबूर होना पड़ रहा है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार भी बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरनाक व अस्वास्थ्यकर उद्योग एवं उत्पादन प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए। उक्त कानूनों के आलोक में बाल मजदूरों की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए एक ऐसी समग्र एवं राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की जाए तथा उसके क्रियान्वयन हेतु निगरानी की प्रक्रिया एवं समयबद्ध जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।